



श्री 9718-014-014
 द्वारा आज 6-7-16 को
 प्रस्तुत

~~6-7-16~~
 राजस्व मण्डल

समस्त-माननीय राजस्व न्यायालय, मध्य प्रदेश जिला, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

116 रीयू - 2265 - 032-16

R...
...
 6-7-16

- १) बनसिंह पुत्र धारासिंह, आयु ७५ साल, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सरनागत, तहसील डबरा जिला, ग्वालियर (म०प्र०)।
- २) सतनामसिंह पुत्र धारासिंह, आयु ५१ साल, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सरनागत, तहसील डबरा जिला, ग्वालियर (म०प्र०)।
- ३) रंजितसिंह पुत्र श्री चंदनसिंह, आयु ६१ साल, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सरनागत, तहसील डबरा जिला, ग्वालियर (म०प्र०)।

माषीगणना अनावंदकगण

बनाम

- १) मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील डबरा जिला, ग्वालियर (म०प्र०)।
- २) सिधारासिंह पुत्र श्री दिलीपसिंह निवासी ग्राम सरनागत, तहसील डबरा जिला, ग्वालियर (म०प्र०)
 - तृतीय रिस्पॉण्डेंट्स
- ३) लखविन्दरसिंह पुत्र बकशीसिंह, ४) हरदयालसिंह पुत्र बकशीसिंह, ५) मु० सिरमनफौर बैठा बकशीसिंह, ६) सुखनसिंह पुत्र ववनसिंह, ७) हीरासिंह पुत्र ववनसिंह, ८) मंगलसिंह पुत्र बलविन्दरसिंह, ९) गुरुमुखसिंह पुत्र बलविन्दरसिंह, १०) जसवीर कार बैठा आत्मासिंह, ११) वात्ताराम पुत्र लक्ष्मण जाटव, १२) मानसिंह पुत्र लक्ष्मण जाटव, १३) गुरमेलसिंह पुत्र कसीरसिंह, १४) गुरुशैर ग्राम सरनागत द्वारा प्रबन्धक गुरुद्वारा ग्राम सरनागत, १५) धीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, १६) मक्खनसिंह पुत्र महेंद्रसिंह, १७) गुरुदयालपुत्र कसीरसिंह, १८) गुरुदयाल

[Signature]

पुत्र कश्मीर सिंह, १६) वीदार सिंह पुत्र हर नाम सिंह,
 २०) बलविंदर सिंह पुत्र करतार सिंह, २१) सुखविन्दर
 पुत्र करतार सिंह, २२) मेजर सिंह पुत्र करतार सिंह,
 २३) कश्मीर सिंह पुत्र पालसिंह, २४) मंगल सिंह पुत्र
 दर्शनसिंह, २५) दिलबाग सिंह पुत्र दर्शनसिंह, २६)
 जागीर सिंह पुत्र पालसिंह, २७) गुरुदयाल पुत्र
 कश्मीर सिंह, २८) करतार सिंह पुत्र हन्वर सिंह,
 २९) अजीत सिंह पुत्र हन्वर सिंह, ३०) सुखदेव सिंह पुत्र
 धारासिंह, ३१) चंदनसिंह पुत्र कंठासिंह, ३२) गुरमैजसिंह
 पुत्र धारासिंह, ३३) रंजीतसिंह पुत्र कंठासिंह,
 ३४) दर्शनसिंह पुत्र चंदनसिंह, ३५) मुख्तियार सिंह पुत्र
 सुखविन्दर सिंह, ३६) हीरासिंह पुत्र प्यारसिंह,
 ३७) परमजीत सिंह पुत्र धारासिंह, ३८) जगतार सिंह
 पुत्र सुखविन्दर सिंह, ३९) कुलदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह,
 ४०) हरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह, ४१) हरजीतकार
 कैठ बलवीर सिंह, ४२) दीपकार पुत्री बलवीरसिंह,
 ४३) सतनामसिंह पुत्र धारासिंह, ४४) सरमनसिंह पुत्र
 चंदनसिंह, ४५) प्यारसिंह पुत्र दिलीपसिंह,
 ४६) जसवीर सिंह पुत्र चंदनसिंह, ४७) सन्तोषासिंह
 पुत्र चन्दनसिंह, ४८) अमरीकसिंह पुत्र दिलीप सिंह,
 ४९) सुच्चसिंह पुत्र दिलीपसिंह, ५०) बुद्धसिंह पुत्र
 सुच्चसिंह, ५१) दिलबाग सिंह पुत्र सुच्चसिंह,
 ५२) बलविन्दर सिंह पुत्र सुच्चसिंह, ५३) कमजीत,
 ५४) बरनजीत नावतल्लिग पुत्रगण लखीर सिंह सरपरस्त
 पिता लखीर सिंह, ५५) सुखजीत सिंह, ५६) रामशेर सिंह
 नावतल्लिग पुत्रगण बखीर सिंह सरपरस्त मां हरविंदर
 कार, ५७) रवीन्द्र सिंह कुक नावतल्लिग पुत्र संतोषासिंह
 ५८) कौका पुत्र समलिया, ५९) मुन्नी पुत्र समलिया,
 ६०) हरप्रसाद हुकुमा पुत्र सिंह जाटव, ६१) गंगाराम
 हुकुमसिंह जाटव, ६२) जसवन्तसिंह पुत्र चंदनसिंह,
 ६३) सन्तोषासिंह पुत्र चंदनसिंह, ६४) सुखविन्दर सिंह

पुत्र गुरनामसिंह, ६५) गुरवयाल सिंह पुत्र गुरनामसिंह,
 ६६) हरपेजसिंह पुत्र गुरनामसिंह, ६७) मीहनसिंह पुत्र
 अर्जुनसिंह, ६८) हरनामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, ६९)
 श्रीजसिंहपुत्र अर्जुनसिंह, ७०) अजीतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह,
 ७१) धारासिंह पुत्र हरनामसिंह, ७२) बदनकार
 पत्नी स्वर्णसिंह, ७३) पालसिंह पुत्र दिलीपसिंह,
 ७४) सिधारासिंह पुत्र दिलीपसिंह, ७५) मधुवन पुत्र
 सिधारासिंह, ७६) कलाशीबाई देवा ब्रह्मपूरनसिंह,
 ७७) गुरमैजसिंह पुत्र धारासिंह।

समस्त निम्नलिखित पण्डित सरनागत, तहसील
 उबरा जिला, ज्वालियर (५०५०)

-अनवेदकगण । रिस्पॉन्डेंट्स

चान 51 नं० ४०० अन्वयत अर्जुन
 आवेदन आधीन आदेश ४७ नियम १ व धारा १५१ सी०पी०सी०
 प्र० नं० १५८८पी०आर० १ व उक्तान वचनसिंहबनाम शासन पारित
 हुकूमत आज्ञा विनांकित १६।६।२०१६ का पुनरावलोकन कर
 प्रकरण को पुनः सुन्नाह में लिया जाकर मुख्य बिन्दुओं पर
 पुनर्विचार किये जाने बाबत ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2265-पीबीआर/2016

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पदाधारी एवं अधिकारियों
नाम के हस्ताक्षर

7.9.16

उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1588-पीबीआर/2011 में पारित आदेश दिनांक 16-06-2016 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-

1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी।

2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हों।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष